

आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर, जमशेदपुर
{ **Adityapur Industrial Area Planning Standards and Building Bye – Laws 1990**
(Amendment 2006) के तहत भवन प्लान की स्वीकृति }

परमिट नं० :- 703

दिनांक :- 29.6.11

सेवा में,

Fr. E. A. Augustine, S. J.,
Director, SITE, Gamharia,
Tata Complex Colpny,
P. O. – Gamharia,
PIN – 832108.

विषय : नियंत्रित क्षेत्र के अन्तर्गत नया भवन निर्माण हेतु अनुमति ।

महाशय,

समर्पित भवन प्लान **EDC Centre & Hostel Block for XITE, Gamharia** मौजा कालीकापुर एवं सालडीह थाना नं०-50, 51 खाता नं०-16, 28, 42, 43, 44, 45, 58 सर्वे प्लॉट नं०- 1(P), 2(P), 6(P), 7(P), 10(P), 52(P), 8/489(P), 9/490(P), 10/491(P), 52/495(P) कुल रकवा-34.50 एकड़ रैयती भूमि भवन निर्माण हेतु भवन प्लान प्रस्तुत किया गया है। याचित राशि **रु० 1,30,746.00** मात्र रसीद संख्या 10405 दिनांक 18.11.2010 एवं **रु० 8,208.00** रसीद सं० 10680 दिनांक 16.03.2011 के द्वारा जमा कर दी गई । उक्त भूखण्ड आवास बोर्ड के द्वारा अर्जित नहीं है। अंचल निरीक्षक के द्वारा भी इसे सत्यापित किया गया है। प्रस्तावित भूखण्ड आयडा के नियंत्रण क्षेत्र में अवस्थित है । समर्पित भवन प्लान **EDC Center – Ground Floor & Hostel – Ground + 1 Floor** के भवन प्लान की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जा सकती है।

भूखण्ड के संबंध में कोई भी विवाद होने पर पूरी जवाबदेही आवेदक की होगी ।

- 1 भवन निर्माण में भवन के आगे 07.5 मीटर पीछे 04.5 मीटर, तथा अगल-बगल 04.5 मीटर छोड़कर भवन बनाना होगा। भवन की अधिकतम उँचाई **EDC Center – 05.18 Mt. & Hostel – 7.16 Mt.** से अधिक नहीं होनी चाहिए । निर्माणकर्ता को **Proper Drainage & Sewerage** का प्रावधान स्वयं करना होगा ।
- 2 आवेदक द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज में अंश भाग की गलत पाये जाने पर भवन प्लान की स्वीकृति रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।
- 3 स्वीकृत भवन में किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या उसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा । किसी भी परिस्थिति में भवन की उँचाई/मंजिल की संख्या में वृद्धि नहीं होगी जब तक उसकी विधिवत स्वीकृति नहीं ली जाएगी । **Ground Coverage – 04.34% Max., FAR – 0.11.**
- 4 निर्माण के गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरूप होगी । निर्माण कार्य एवं संरचना सही रूपांकन एवं उसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधी अनुज्ञप्तिधारी अभियंता के साथ-साथ निर्माणकर्ता पर होगी ।
- 5 भूखण्ड के सामने चाहरदिवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेभमेंट का निर्माण तथा बृक्ष लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम के अनुसार किया जाएगा ।
- 6 भवन ले – आउट करने के पूर्व प्राधिकार को संसुचित करेंगे एवं अभियंता के उपस्थिति में ले-आउट संपन्न करेंगे ।

- 7 निर्माण कार्य के आरंभ होने की सूचना प्राधिकार को देनी होगी तथा प्लीथ (दस दिनों के अंदर) की जाँच कराने के बाद ही आगे का निर्माण कार्य जारी रखा जाएगा ।
- 8 निर्माणकर्ता को अपार्टमेंट में समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी । Hydrologist द्वारा निर्गत किए गए शर्तों के अनुरूप ही जल आपूर्ति का व्यवस्था करेंगे ।
- 9 निर्माणकर्ता को निजी ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करनी होगी, भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में घ्वनी एवं प्रदुषण रहित पर्याप्त क्षमता का जनरेटर लगाना होगा ।
- 10 प्रमण्डलीय अग्निशमन पदधिकारी, रॉची के पत्रांक 115 दिनांक 05.05.2011 के सभी 1 से 15 तक के विन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।
- 11 Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित करना होगा ।
- 12 भवन निर्माण में 50% Fly Ash Bricks का प्रयोग करना होगा ।
- 13 भवन निर्माण पूरा होने पर Completion Certificate के साथ प्राधिकार को सूचित करना होगा Occupancy Certificate तथा प्राप्त किए बिना भवन में Occupancy नहीं दी जा सकेगी । Occupancy के पूर्व Fire Officer से जाँच कराकर जाँच की प्रति इस कार्यालय में समर्पित करें ।
- 14 **Adityapur Industrial Area Planning Standards and Building Bye - Laws 1990 (Amendment - 2006)** की धारा 2/1 एवं झारखण्ड अपार्टमेंट अधिनियम 2005 के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा ।
- 15 भवन निर्माण के दौरान प्राधिकार के द्वारा यदि कोई निर्देश दिया जाता है तो उस निर्देश का पालन सुनिश्चित करना होगा ।
- 16 माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता की भूमि पर किसी भी हालत में निर्माण नहीं किया जाएगा । अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जाएगा ।
- 17 भवन प्लान के स्वीकृति प्रति प्राप्त करने के पूर्व आवेदक, निर्माणकर्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी अभियंता को उपरोक्त शर्तों के आशय का एक शपथ पत्र देना होगा ।
- 18 तड़ित चालक भवन में लगाना अनिवार्य है ।
- 19 निर्माण स्थल तक जाने के लिए 06.00 मीटर का पहुँच पथ सुनिश्चित करेंगे ।
- 20 उपरोक्त वर्णित नियमों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में आपको दिया गया आदेश रद्द कर दिया जाएगा ।



नियंत्रक

आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर, जमशेदपुर
{ **Adityapur Industrial Area Planning Standards and Building Bye – Laws 199**
(**Amendment 2006**) के तहत भवन प्लान की स्वीकृति }

परमिट नं० :- 1698

दिनांक :- 01.12.2010

सेवा में,

**Director,
XITE, Gamharia.**

विषय : नियंत्रित क्षेत्र के अन्तर्गत नया भवन निर्माण हेतु अनुमति ।

महाशय,

समर्पित भवन प्लान **Construction for XITE Junior School Building, Tata Complex Colony** महाशय कालिकापुर थाना नं०- 50 खाता नं०-43, 44, 28, 16, 42, 45 सर्वे प्लॉट नं०- 1, 2, 6, 7, 10, 52, 8/489, 9/410/491, 52/495 कुल रकवा - 34.50 एकड़ आयडा द्वारा आवंटित भूमि भवन निर्माण हेतु भवन प्लान प्रस्तुत किया है । याचित राशि **रु० 2,39,400.00** मात्र चेक संख्या 10332 दिनांक 26.08.2010 के द्वारा जमा कर दी गई । उक्त भवन आवास बोर्ड के द्वारा अर्जित नहीं है । अंचल निरीक्षक के द्वारा भी इसे सत्यापित किया गया है । समर्पित भवन प्लान **Ground + 02 Floor** के भवन प्लान की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जा सकती है ।

भूखण्ड के संबंध में कोई भी विवाद होने पर पूरी जवाबदेही आवेदक की होगी ।

1. भवन निर्माण में भवन के आगे **07.5 मीटर** पीछे **04.50 मीटर**, तथा अगल - बगल (प्रत्येक) **04.5 मीटर** छोड़कर भवन बनाना होगा । भवन की अधिकतम उँचाई **10.67 मीटर** से अधिक नहीं होनी चाहिए । निर्माणकर्त्ता **Proper Drainage & Sewerage** का प्रावधान स्वयं करना होगा ।
2. आवेदक द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज में अंश भाग की गलत पाये जाने पर भवन प्लान की स्वीकृति रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।
3. स्वीकृत भवन में किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या उसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा । किसी परिस्थिति में भवन की उँचाई/मंजिल की संख्या में वृद्धि नहीं होगी जब तक उसकी विधिवत स्वीकृति नहीं जाएगी । **F. A. R. - 0.09 & Ground Coverage - 3.21 %** से अधिक नहीं होना है ।
4. निर्माण के गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरूप होगी । निर्माण कार्य एवं संरचना सही रूपांकन एवं उसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधी अनुज्ञप्तिधारी अभियंता के साथ-साथ निर्माणकर्त्ता पर होगी ।
5. भूखण्ड के सामने चाहरदिवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेभमेंट का निर्माण तथा बृक्ष लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम के अनुसार किया जाएगा ।
6. भवन ले - आउट करने के पूर्व प्राधिकार को संसुचित करेंगे एवं अभियंता के उपस्थिति में ले-आउट संसुचित करेंगे ।
7. निर्माण कार्य के आरंभ होने की सूचना प्राधिकार को देनी होगी तथा प्लीथ (दस दिनों के अंदर) की जाँच के बाद ही आगे का निर्माण कार्य जारी रखा जाएगा ।

8. निर्माणकर्ता को अपार्टमेंट में समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी । Hydrologist द्वारा निर्माण किए गए शर्तों के अनुरूप ही जल आपूर्ति का व्यवस्था करेंगे ।
9. निर्माणकर्ता को निजी ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करनी होगी, भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में घ्वनी एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जनरेटर लगाना होगा ।
10. प्रमण्डलीय अग्निशमन पदधिकारी, रॉची से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय में समर्पित करेंगे तत्काल उक्त अनापति प्रमाण पत्र की प्रत्याशा में आदेश निर्गत किया जा रहा है ।
11. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित करना होगा ।
12. भवन निर्माण में 50% Fly Ash Bricks का प्रयोग करना होगा ।
13. भवन निर्माण पूरा होने पर Completion Certificate के साथ प्राधिकार को सूचित करना होगा Occupancy Certificate तथा प्राप्त किए बिना भवन में Occupancy नहीं दी जा सकेगी । Occupancy के पूर्व Fire Officer जाँच कराकर जाँच की प्रति इस कार्यालय में समर्पित करें ।
14. **Adityapur Industrial Area Planning Standards and Building Bye – Laws 1990 (Amendment 2006)** की धारा 2/1 एवं झारखण्ड अपार्टमेंट अधिनियम 2005 के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा ।
15. भवन निर्माण के दौरान प्राधिकार के द्वारा यदि कोई निर्देश दिया जाता है तो उस निर्देश का पालन सुनिश्चित करना होगा ।
16. माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता की भूमि पर किसी हालत में निर्माण नहीं किया जाएगा । अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जाएगा ।
17. निर्माण स्थल पर बोर्ड लगाना होगा, जिस पर भूमि मालिक का नाम, निर्माणकर्ता का नाम, खाता एवं प्लॉट संख्या, स्वीकृत भवन प्लान की परमिट संख्या, कुल स्वीकृत तल एवं कुल स्वीकृत फ्लैट आदि का विवरण देना होगा साथ ही क्रेता को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी ।
18. भवन प्लान के स्वीकृति प्रति प्राप्त करने के पूर्व आवेदक, निर्माणकर्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी अभियंता को उपरोक्त शर्तों के आशय का एक शपथ पत्र देना होगा ।
19. तड़ित चालक भवन में लगाना अनिवार्य है ।
20. प्रस्तावित भवन से मुख्य सड़क तक पहुँचने के लिए 18.29 मीटर का पहुँच पथ सुनिश्चित करेंगे ।
21. उपरोक्त वर्णित नियमों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में आपको दिया गया आदेश रद्द कर दिया जाएगा ।



नियंत्रक 1/1/10

आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर, जमशेदपुर
{ **Adityapur Industrial Area Planning Standards and Building Bye – Laws 1990**
(**Amendment 2006**) के तहत भवन प्लान की स्वीकृति }

परमिट नं० :- 390/र आ र

दिनांक :- 27.04.13

सेवा में,

Fr. E. A. Augustine, S. J.,
Director, XITE, Gamharia,
Tata Complex Colony,
P. O. – Gamharia,
PIN – 832108.

विषय : नियंत्रित क्षेत्र के अन्तर्गत नया भवन निर्माण हेतु अनुमति ।


महाशय,

समर्पित भवन प्लान **PG Block College Building XITE, Gamharia** मौजा कालीकापुर एवं सालडीह थाना नं०-50 एवं 51 खाता नं०-16, 28, 42, 43, 44, 45, 58 सर्वे प्लॉट नं०- 1(P), 2(P), 6(P), 7(P), 10(P), 52(P), 8/489(P), 9/490(P), 10/491(P), 52/495(P) कुल रकवा-34.50 एकड़ आयडा से आवंटित भूमि भवन निर्माण हेतु भवन प्लान प्रस्तुत किया गया है । याचित राशि **रु० 5,89,000.00** मात्र चेक संख्या 939079 दिनांक 14.07.2010 के द्वारा जमा कर दी गई। प्रस्तावित भूखण्ड आयडा के नियंत्रण क्षेत्र में अवस्थित है । समर्पित भवन प्लान **Ground + 2nd Floor** के भवन प्लान की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जा सकती है।

भूखण्ड के संबंध में कोई भी विवाद होने पर पूरी जवाबदेही आवेदक की होगी ।

1. भवन निर्माण में भवन के आगे 04.5 मीटर पीछे 03.0 मीटर, तथा अगल-बगल 05.0 मीटर छोड़कर भवन बनाना होगा। भवन की अधिकतम उँचाई - **12.46 Mt.** से अधिक नहीं होनी चाहिए । निर्माणकर्ता को **Proper Drainage & Sewerage** का प्रावधान स्वयं करना होगा ।
2. आवेदक द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज में अंश भाग की गलत पाये जाने पर भवन प्लान की स्वीकृति रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।
3. स्वीकृत भवन में किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या उसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा । किसी भी परिस्थिति में भवन की उँचाई/मंजिल की संख्या में वृद्धि नहीं होगी जब तक उसकी विधिवत स्वीकृति नहीं ली जाएगी । **Ground Coverage – 04.34% Max., FAR – 2.5.**
4. निर्माण के गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरूप होगी । निर्माण कार्य एवं संरचना सही रूपांकन एवं उसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधी अनुज्ञप्तिधारी अभियंता के साथ-साथ निर्माणकर्ता पर होगी ।
5. भूखण्ड के सामने चाहरदिवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेभमेंट का निर्माण तथा बृक्ष लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम के अनुसार किया जाएगा ।
6. भवन ले - आउट करने के पर्व प्राधिकार को संसुचित करेंगे एवं अभियंता के उपस्थिति में ले-आउट संपन्न करेंगे ।
7. निर्माण कार्य के आरंभ होने की सूचना प्राधिकार को देनी होगी तथा प्लीथ (दस दिनों के अंदर) की जाँच कराने के बाद ही आगे का निर्माण कार्य जारी रखा जाएगा ।

8. निर्माणकर्ता को अपार्टमेंट में समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी । Hydrologist द्वारा निर्गत किए गए शर्तों के अनुरूप ही जल आपूर्ति का व्यवस्था करेंगे ।
9. निर्माणकर्ता को निजी ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करनी होगी, भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में घ्वनी एवं प्रदुषण रहित पर्याप्त क्षमता का जनरेटर लगाना होगा ।
10. प्रमण्डलीय अग्निशमन पदधिकारी, रॉची के पत्रांक 492 दिनांक 20.12.2012 के सभी 1 से 24 तक के विन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।
11. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित करना होगा ।
12. भवन निर्माण में 50% Fly Ash Bricks का प्रयोग करना होगा ।
13. भवन निर्माण पूरा होने पर Completion Certificate के साथ प्राधिकार को सूचित करना होगा Occupancy Certificate तथा प्राप्त किए बिना भवन में Occupancy नहीं दी जा सकेगी । Occupancy के पूर्व Fire Officer से जाँच कराकर जाँच की प्रति इस कार्यालय में समर्पित करें ।
14. **Adityapur Industrial Area Planning Standards and Building Bye – Laws 1990 (Amendment – 2006)** की धारा 2/1 एवं झारखण्ड अपार्टमेंट अधिनियम 2005 के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा ।
15. भवन निर्माण के दौरान प्राधिकार के द्वारा यदि कोई निर्देश दिया जाता है तो उस निर्देश का पालन सुनिश्चित करना होगा ।
16. माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता की भूमि पर किसी भी हालत में निर्माण नहीं किया जाएगा । अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जाएगा ।
17. भवन प्लान के स्वीकृति प्रति प्राप्त करने के पूर्व आवेदक, निर्माणकर्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी अभियंता को उपरोक्त शर्तों के आशय का एक शपथ पत्र देना होगा ।
18. तड़ित चालक भवन में लगाना अनिवार्य है ।
19. निर्माण स्थल तक जाने के लिए 06.00 मीटर का पहुँच पथ सुनिश्चित करेंगे ।
20. उपरोक्त वर्णित नियमों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में आपको दिया गया आदेश रद्द कर दिया जाएगा ।



नियंत्रक ।

आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर, जमशेदपुर
{ Adityapur Industrial Area Planning Standards and Building Bye – Laws 1990
(Amendment 2006) के तहत भवन प्लान की स्वीकृति }

परमिट नं० :- 905

दिनांक :- 03.08.11

सेवा में,

Fr. E. A. Augustine, S. J.,
Director, XITE, Gamharia,
Tata Complex Colpny,
P. O. – Gamharia,
PIN – 832108.

विषय : नियंत्रित क्षेत्र के अन्तर्गत नया भवन निर्माण हेतु अनुमति ।

महाशय,


समर्पित भवन प्लान **JESUIT RESIDENCE for XITE, Gamharia** मौजा कालीकापुर एव सालडीह थाना नं०-50, 51 खाता नं०-16, 28, 42, 43, 44, 45, 58 सर्वे प्लॉट नं०- 1(P), 2(P), 6(P), 7(P), 10(P), 52(P), 8/489(P), 9/490(P), 10/491(P), 52/495(P) कुल रकवा-34.50 एकड़ रैयती भूमि भवन निर्माण हेतु भवन प्लान प्रस्तुत किया गया है । याचित राशि **₹ 46,471.00** मात्र रसीद संख्या 40341 दिनांक 29.06.2011के द्वारा जमा कर दी गई । अंचल निरीक्षक के द्वारा भी इसे सत्यापित किया गया है। प्रस्तावित भूखण्ड आयडा के नियंत्रण क्षेत्र में अवस्थित है । समर्पित भवन प्लान **JESUIT RESIDENCE – Ground + 1 Floor** के भवन प्लान की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जा सकती है।

भूखण्ड के संबंध में कोई भी विवाद होने पर पूरी जवाबदेही आवेदक की होगी ।

1. भवन निर्माण में भवन के आगे Open Field पीछे Open Field, तथा अगल-बगल Open Field छोड़कर भवन बनाना होगा। भवन की अधिकतम उँचाई **JESUIT RESIDENT – 08.23 Mt.** से अधिक नहीं होनी चाहिए । निर्माणकर्ता को **Proper Drainage & Sewerage** का प्रावधान स्वयं करना होगा ।
2. आवेदक द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज में अंश भाग की गलत पाये जाने पर भवन प्लान की स्वीकृति रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।
3. स्वीकृत भवन में किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या उसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा । किसी भी परिस्थिति में भवन की उँचाई/मंजिल की संख्या में वृद्धि नहीं होगी जब तक उसकी विधिवत स्वीकृति नहीं ली जाएगी । **Ground Coverage – 04.64% Max., FAR –0.1158.**
4. निर्माण के गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरूप होगी । निर्माण कार्य एवं संरचना सही रूपांकण एवं उसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधी अनुज्ञप्तिधारी अभियंता के साथ-साथ निर्माणकर्ता पर होगी।
5. भूखण्ड के सामने चाहरदिवारी का निर्माण कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम के अनुसार किया जाएगा ।
6. निर्माणकर्ता को भवन में समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।
7. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित करना होगा ।
8. **Adityapur Industrial Area Planning Standards and Building Bye – Laws 1990 (Amendment – 2006)** की धारा 2/1 एवं झारखण्ड अपार्टमेंट अधिनियम 2005 के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा ।

9. भवन निर्माण के दौरान प्राधिकार के द्वारा यदि कोई निर्देश दिया जाता है तो उस निर्देश का पालन सुनिश्चित करना होगा ।
10. माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता की भूमि पर किसी भी हालत में निर्माण नहीं किया जाएगा । अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जाएगा ।
11. तड़ित चालक भवन में लगाना अनिवार्य है ।
12. प्रस्तावित पथ की चौड़ाई 18.29 मीटर प्लॉट के सामने होनी चाहिए ।
13. उपरोक्त वर्णित नियमों का यदि अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो आपके अनुमोदित भवन प्लान को रद्द कर दिया जाएगा एवं नियमानुसार अनाधिकृत निर्माण घोषित कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।




निर्देशक ।

आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर, सरायकेला-खरसाँवा

{Adityapur Industrial Area Planning Standards and Building Bye-Laws 1990
(Amendment 2006) के तहत भवन प्लान की स्वीकृति }

परमित नं०:- 860

दिनांक:- 28.07.16

सेवा में,

Director,

XITE, Gamharia.

विषय:-नियंत्रित क्षेत्र के अन्तर्गत नया भवन निर्माण हेतु अनुमति।

महाशय,

समर्पित भवन प्लान Construction for XITE High School, tata complex colony Block-C मौजा गम्हरिया कालिकापुर थाना नं०-50, 51 खाता नं०-43,44,28,16,42,45 सर्वे प्लॉट नं०-P-1, P-2, P-6, P-7, P-10, P-52, P-8/489, P-9/490, P-10/491, P-52/495 कुल रकवा - 34.50 एकड़ आयडा द्वारा आवंटित भूमि पर भवन निर्माण हेतु भवन प्लान प्रस्तुत किया गया है। याचित राशि पूर्व में रू० 660500/- रसीद सं०-42344 दिनांक 11.11.14 एवं रू० 88120/-रसीद सं०-42821 द्वारा दिनांक 13.01.16 के द्वारा जमा कर दी गई। पूर्व में भूमि के जांच के क्रम में प्रस्तावित भूखण्ड के बारे में अंचलाधिकारी, गम्हरिया के पत्रांक 632 दिनांक 19.06.2010 के द्वारा प्रतिवेदित है। अंचल निरीक्षक के द्वारा भी सत्यापित किया गया है।

समर्पित भवन प्लान **B+G+03 Floor** के भवन प्लान की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है।

भूखण्ड के संबंध में कोई भी विवाद होने पर पूरी जवाबदेही आवेदक की होगी।

1. भवन निर्माण में भवन के आगे 09 मी० पीछे 5.00 मी० तथा अगल-बगल (प्रत्येक) 5.00 मीटर छोड़कर भवन बनाना होगा। भवन की अधिकतम उंचाई 15.70 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। निर्माणकर्ता को Proper Drainage & Sewerage का प्रावधान स्वयं करना होगा।
2. आवेदक द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज में अंश भाग की गलत पाये जाने पर भवन प्लान की स्वीकृति रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
3. स्वीकृत भवन में किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या उसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भवन की उंचाई / मंजिल की संख्या में वृद्धि नहीं होगी जबतक उसकी विधिवत स्वीकृति नहीं ली जाएगी। F.A.R.-0.22 & Ground Coverage -50 % से अधिक नहीं होना है।

4. निर्माण के गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना का सही रूपांकन एवं उसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधी अनुज्ञप्तिधारी अभियंता के साथ-साथ निर्माणकर्त्ता पर होगी।
5. भूखण्ड के सामने चाहरदिवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेभमेंट का निर्माण तथा वृक्ष लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम के अनुसार किया जाएगा।
6. भवन ले-आउट करने के पूर्व प्राधिकार को संसुचित करेंगे एवं अभियंता के उपस्थिति में ले-आउट संपन्न करेंगे।
7. निर्माण कार्य के आरंभ होने की सूचना प्राधिकार को देनी होगी तथा प्लीथ (दस दिनों के अन्दर) की जांच कराने के बाद ही आगे का निर्माण कार्य जारी रखा जाएगा।
8. निर्माणकर्त्ता को अपार्टमेंट में समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। Hydrologist द्वारा निर्गत किए गए शर्तों के अनुरूप ही जल आपूर्ति की व्यवस्था करेंगे।
9. निर्माणकर्त्ता को निजी ट्रान्सफरमर की व्यवस्था स्वयं करनी होगी, भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ध्वनी एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जनरेटर लगाना होगा।
10. प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, झारखण्ड राँची के पत्रांक 237 दिनांक 20.05.2015 के द्वारा दिये गये निदेश का पूर्णतः पालन करेंगे।
11. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावधान निर्माणकर्त्ता को सुनिश्चित करना होगा।
12. भवन निर्माण में 50% Fly Ash Bricks का प्रयोग करना होगा।
13. भवन निर्माण पूरा होने पर Completion Certificate के साथ प्राधिकार को सूचित करना होगा। Occupancy Certificate तथा प्राप्त किए बिना भवन में Occupancy नहीं दी जा सकेगी। Occupancy के पूर्व Fire Officer से जांच कराकर जांच की प्रति इस कार्यालय में समर्पित करें।
14. Adityapur Industrial Area Planning Standards and Building Bye-Laws 1990 (Amendment 2006) की धारा 2/1 एवं झारखण्ड अपार्टमेंट अधिनियम 2005 के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।
15. भवन निर्माण के दौरान प्राधिकार के द्वारा यदि कोई निर्देश दिया जाता है तो उस निर्देश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
16. माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता की भूमि पर किसी भी हालत में निर्माण नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जाएगा।
17. निर्माण स्थल पर बोर्ड लगाना होगा, जिस पर भूमि मालिक का नाम, निर्माणकर्त्ता का नाम, खाता एवं प्लॉट सं०, रकबा, स्वीकृत भवन प्लान की परमिट संख्या, कुल स्वीकृत तल एवं कुल स्वीकृत प्लैट आदि का विवरण देना होगा साथ ही क्रेता को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।

18. भवन प्लान के स्वीकृति प्रति प्राप्त करने के पूर्व आवेदक , निर्माणकर्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी अभियंता उपर शर्त के आशय का एक शपथ पत्र देना होगा।
19. तडित चालक भवन में लगाना अनिवार्य है।
20. प्रस्तावित भवन से मुख्य सडक तक पहुँचने के लिए 12.00 मीटर का पहुँच पथ सुनिश्चित करेंगे।
21. उपरोक्त वर्णित नियमों का अनुपालन नही करने की स्थिति में आपको दिया गया आदेश रद्द कर दि जाएगा।

Jim
5/11/16
नियंत्रक ।